

## राजस्थान सरकार

### निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2(F)/यू-05/2019/

दिनांक:-

### आदेश

श्रीमती उषा कुमारी, नर्स-2 (परिवीवक्षाधीन) राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय, ब्यावर-अजमेर को चिकित्सा प्रमाण-पत्र (स्वयं की बीमारी) के आधार पर निम्नानुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-

क्र. सं.	दिनांक से	दिनांक तक	अवधि दिवस	विवरण
1	31.03.16	14.04.16	15	असाधारण अवकाश
2	08.07.16	21.07.16	14	
3	21.11.16	06.01.17	47	
4	13.07.17	19.07.17	07	
5	01.08.17	10.08.17	10	
कुल			93 दिवस	

उक्त आदेश वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक F.1(2)FD(Rules)/06/Part-1 दिनांक 11.06.2014 के अनुसरण में एक माह से अधिक अवधि के उपरान्त उपभोग किये गये असाधारण अवकाश की सीमा तक उनके परिवीक्षाकाल में 63 दिवस अभिवृद्धि की जावेगी।

Sd

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2(F)/यू-05/2019/42

दिनांक:- 18-3-2019

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव माननीय राज्य मंत्री महोदय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके आई डी क्रमांक 03/एस.एम./एमएण्डएच/2019 दिनांक 03.01.2019 के संदर्भ में।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके आई.डी क्रमांक 03/एसीएस/एम एण्ड एच/2019 दिनांक 03.01.2019 के संदर्भ में।
3. संयुक्त शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान जयपुर को उनके आई.डी क्रमांक 2292 दिनांक 01.01.2019 के संदर्भ में।
4. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय, ब्यावर-अजमेर।
5. श्रीमती उषा कुमारी, नर्स-2 द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
6. प्रभारी सर्वर रुम को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।
7. आदेश/निजी पत्रावली।

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर